भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3563

11.08.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन शमन प्रयास

3563. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में तटीय समुदायों और जनजातीय आबादी के लिए स्थायी आजीविका की आवश्यकता पर विचार करते हुए पर्यावरण नियमों और वन अधिकार अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से सुंदरबन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) सीमा पार पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में पर्यावरण संबंधी विनियमों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यावरण विभागों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तटीय क्षेत्रों के निश्चित क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड)/द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) के रूप में घोषित किया जाता है। तटीय समुदायों की संधारणीय आजीविका के उपायों सहित सुरक्षा उपायों के उचित मूल्यांकन और समावेशन के बाद सीआरजेड/आईसीआरजेड संबंधी मंजूरी प्रदान की जाती है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जैसे अतिसंवेदनशील तटीय क्षेत्रों (सीवीसीए) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित किया गया है और तटीय समुदायों की आजीविका को बनाए रखने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ उनका प्रबंधन किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे 20 राज्यों (पश्चिम बंगाल सहित) और 1 संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए)' योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, कई पहलों को शामिल किया है और राज्य तथा जिला/सब-डिवीजन स्तर पर विशिष्ट एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना की है तथा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की कई योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से संबंधित योजना दिशानिर्देशों को संशोधित किया

गया है ताकि जहां भी आवश्यक हो, लाभार्थी अंशदान को केवल 10% तक सीमित किया जा सके।

(ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) ने पश्चिम बंगाल सहित 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 847.48 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत के साथ 30 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है।

वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण अंतराल वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत, छह शहरों अर्थात् आसनसोल, कोलकाता शहरी समूह (हावड़ा और बैरकपुर सहित), हल्दिया और दुर्गापुर में शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल को 1313.21 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन हेतु जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, आर्द्रभूमि मानचित्रण, जलीय जीवों की पुनर्संग्रहण, पर्यावास सुधार, वैकल्पिक आजीविका विकास कार्यकलापों, जन जागरूकता और निगरानी एवं अनुसंधान जैसे कार्यकलापों के लिए सुंदरवन आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2003-04 से वर्ष 2019-20 तक 16.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को सुंदरबन के लिए 88.514 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(ग) भारत सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से खतरनाक अपशिष्टों का सुरक्षित भंडारण, शोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट के आयात/निर्यात को उक्त नियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। भारत ने बेसल कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है, जो खतरनाक अपशिष्टों की ढुलाई के लिए पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) को अनिवार्य बनाता है, तथा रॉटरडैम कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है, जो कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, जिससे पक्षकारों देशों को उनके आयात की अनुमति देने, उन्हें प्रतिबंधित करने या निषेध करने का अधिकार मिलता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सीमापारीय समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के माध्यम से किया जाता है, जिसमें नौ क्षेत्र-विशिष्ट मिशन शामिल हैं, जिन्हें संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये सभी मिशन पश्चिम बंगाल सहित देश भर में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सामना करने की कार्यनीतियों पर केंद्रित हैं। पश्चिम बंगाल ने कार्बन-तटस्थ राज्य के लक्ष्य के साथ रोडमैप के रूप में जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) 2021-30 को अपनाया है।

*****